



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित



संख्या - 647 राँची, बुधवार, 10 कार्तिक, 1945 (श०)
1 नवंबर, 2023 (ई०)

गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

अधिसूचना

17 अक्टूबर, 2023

संख्या-11/विविध-02/2023-4733--सिद्धदोष बंदियों को उनके अच्छे आचरण, कार्य के संतोषजनक संपादन एवं जीवन में स्वानुशासन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से तथा कारा से मुक्ति पूर्व उन्हें सामाजिक एकीकरण एवं आर्थिक स्वावलम्बन की शिक्षा प्रदान करने के दृष्टिकोण से इन्हें खुला जेल-सह-पुनर्वास कैम्प, हजारीबाग में स्थानान्तरित एवं संसीमित करने के संबंध में गृह विभाग, झारखण्ड, राँची की अधिसूचना संख्या-6579 दिनांक-16.11.2013 द्वारा खुला जेल के लिए एक नियमावली पूर्व से अधिसूचित की गई है। इसी अधिसूचना में उक्त के अतिरिक्त सरकार की नीतियों के अनुरूप नक्सल बंदियों के आत्मसर्पण के पश्चात् उन्हें स्वच्छ एवं स्वस्थ वातावरण प्रदान के निमित्त खुला जेल-सह- पुनर्वास कैम्प, हजारीबाग में स्थानान्तरण एवं संसीमन करने का निर्णय भी लिया गया है ।

आत्मसमर्पण के लिए निर्धारित नीति के तहत अधिक से अधिक संख्या में नक्सली आत्मसमर्पण के लिए एवं मुख्यधारा में जुड़ने के लिए प्रेरित हों, इसके लिए सरकार द्वारा सम्यक विचारोपरान्त लिये गये निर्णय के आलोक में कारागार अधिनियम 1894 की धारा-3 की उपधारा (1) एवं धारा 59 की उपधारा 5, 9, 12, 18, 27 एवं 28 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए निम्नांकित संशोधित नियमावली गठित की जाती है:-

1. संक्षिप्त नाम एवं आरंभ -

- I. यह नियमावली "झारखण्ड खुला जेल-सह-पुनर्वास कैम्प नियमावली (संशोधित)-2023" कही जा सकेगी।
- II. खुला जेल-सह-पुनर्वास कैम्प का अर्थ है हजारीबाग अनुमण्डल थाना-सदर जिला-हजारीबाग में अवस्थित खुला जेल-सह-पुनर्वास कैम्प। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार यदि चाहे तो राज्य के अन्य सुरक्षित स्थान, जिसे स्थाई रूप से कारा अधिनियम 3(1) अन्तर्गत राज्य सरकार के आदेशानुसार आत्मसमर्पित नक्सली बंदियों के संसीमन एवं पुनर्वास के लिए खुला जेल-सह-पुनर्वास कैम्प के गठन एवं निर्माण का निर्णय कर सकेगी। खुला जेल-सह-पुनर्वास कैम्प में राज्य सरकार की नितियों के अन्तर्गत आत्मसमर्पित नक्सल बंदियों के पुनर्वास के निमित्त व्यवसायिक एवं कौशल शिक्षा प्रदान करने तथा समाज की मुख्यधारा में सम्मिलित करने हेतु संसीमित किया जा सकेगा।
- III. इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा।

2. परिभाषाएँ

इस नियमावली में जब तक कि संदर्भ एवं विषय से अन्यथा अपेक्षित न हो

- I. महानिदेशक-सह-पुलिस महानिरीक्षक से अभिप्रेत है महानिदेशक-सह-पुलिस महानिरीक्षक, झारखण्ड, राँची।
- II. नामित पदाधिकारी से अभिप्रेत है-महानिदेशक-सह-पुलिस महानिरीक्षक के द्वारा नामित पदाधिकारी।
- III. कारा महानिरीक्षक से अभिप्रेत है कारा महानिरीक्षक, झारखण्ड, राँची।
- IV. परिवार से अभिप्रेत है बंदी के माता, पिता, पत्नी, पति अविवाहित पुत्रियाँ एवं 18 वर्ष तक की उम्र की अवयस्क संतान।
- V. खुला जेल सह पुनर्वास कैम्प से अभिप्रेत है वह स्थान जो कारा अधिनियम, 1894 की धारा-03 की उप धारा (1) अनुसरण में गृह विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक-6578 दिनांक-16.11.2013 द्वारा आत्मसमर्पित नक्सली बंदियों के संसीमन के लिए खुला जेल सह पुनर्वास कैम्प घोषित किया गया हो।
- VI. खुला जेल-सह-पुनर्वास कैम्प को जिला (मंडल) जेल का दर्जा प्राप्त होगा।

3. उद्देश्य (Objects)

1. खुला जेल-सह-पुनर्वास कैम्प का उद्देश्य यह है कि आत्मसमर्पित नक्सली बंदियों के लिए खुला वातावरण मिले, ताकि उनमें सकारात्मक दृष्टिकोण पैदा हो सके।
2. संसीमित कैदियों को कृषि, हर्बल, हार्टिकल्चर, डेयरी, मछलीपालन, बढ़ईगिरी, जिल्दसाजी, मोमबत्ती, सिंचाई, ट्रांसफॉर्मर-जेनरेटर आदि का प्रशिक्षण देना, ताकि वे इस प्रशिक्षण का व्यवसायिक उपयोग कर सकें।
3. परामर्श देना तथा ध्यान/योग वगैरह, जिससे बंदियों के मानसिक स्वास्थ्य में सकारात्मक बदलाव हो सके, का कार्यक्रम आयोजित करना।

इस खुला जेल-सह-पुनर्वास कैम्प का संपूर्ण उद्देश्य है कि जब आत्मसमर्पित नक्सली बंदी यहाँ से मुक्त हों तो समाज की मुख्यधारा में शामिल होकर सामान्य जीवन बिता सकें और शैक्षणिक एवं तकनीकी ज्ञान से अपना भरण-पोषण कर सकें।

4. प्रक्रिया:-

कारा निरीक्षणालय आत्मसमर्पित नक्सली बंदियों को खुला जेल-सह-पुनर्वास कैम्प, कारा में प्रवेश हेतु राज्य पुलिस मुख्यालय से प्राप्त सूची (अनुशंसा सहित) पर विचार करेगा। राज्य पुलिस मुख्यालय में महानिदेशक-सह-पुलिस महानिरीक्षक अथवा उनके द्वारा नामित पदाधिकारी का दायित्व होगा कि नक्सली बंदियों के आत्म समर्पण के पश्चात् ससमय, प्रस्ताव आवश्यक कागजातों के साथ संलग्न करते हुए कारा निरीक्षणालय को समर्पित करेंगे।

- (क) अपवाद स्वरूप राज्य सरकार विशेष परिस्थिति में राज्य पुलिस मुख्यालय से प्राप्त प्रस्ताव के अभाव में भी खुला जेल-सह-पुनर्वास कैम्प में रहने वाले आत्मसमर्पित नक्सली बंदियों का चयन कर सकेगी।

5. आत्मसमर्पित नक्सली बंदियों को खुला जेल-सह-पुनर्वास कैम्प, हजारीबाग स्थानान्तरण की प्रक्रिया:-

1. राज्य पुलिस मुख्यालय द्वारा खुला जेल-सह-पुनर्वास कैम्प में भेजे जाने वाले आत्मसमर्पित नक्सली बंदियों की सूची में स्पष्ट अनुशंसा अंकित होनी चाहिए।
2. अनुशंसा सहित भेजे जाने वाले सूची के साथ प्रत्येक बंदी की इस नियमावली की कंडिका-15 के प्रारूप में तैयार केस हिस्ट्री (उपलब्ध सूचना के आधार पर) भी कारा निरीक्षणालय को भेजी जाएगी।
3. सूची के साथ खुला जेल-सह-पुनर्वास कैम्प में जाने हेतु संबंधित कारा अधीक्षक द्वारा अभिप्रमाणित बंदी आवेदन पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
4. कारा निरीक्षणालय द्वारा प्राप्त अनुशंसित प्रस्तावों पर निर्णय के निमित्त खुला जेल-सह-पुनर्वास कैम्प में बंदियों की कुल संसीमन क्षमता, वर्तमान संसीमन संख्या तथा संसाधनों/सुविधाओं की उपलब्धता पर समुचित विचार किया जाएगा तथा समुचित विचारोपरान्त आत्मसमर्पित नक्सली बंदियों को उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर खुला जेल-सह-पुनर्वास कैम्प में रहने के लिए पात्र कैदियों को परिरुद्ध करने हेतु आदेश, संबंधित

आरक्षी अधीक्षक, संबंधित कारा अधीक्षक तथा अधीक्षक खुला जेल-सह-पुनर्वास कैम्प को भेजा जाएगा ।

6. कार्य एवं रोजगार:-

- (1) आत्म समर्पित नक्सली विचाराधीन बंदियों को खुला जेल सह पुनर्वास कैम्प से बाहर कार्य करना प्रतिबंधित रहेगा। परंतु राज्य सरकार द्वारा विशेष परिस्थिति में विशेष बंदी के निमित्त अलग से आदेश निर्गत किया जा सकेगा ।
- (2) कारा प्रशासन आत्मसमर्पित नक्सली बंदियों को जीविकोपार्जन हेतु सामर्थ्यवान बनाने के लिए व्यवसायिक प्रशिक्षण दे सकता है ।
- (3) कारा अधीक्षक अथवा काराधीक्षक द्वारा प्रतिनियुक्त पदाधिकारी आत्मसमर्पित नक्सली बंदी के कार्य स्थल का औचक निरीक्षण करने के लिए स्वतंत्र होंगे। यदि आत्मसमर्पित नक्सली बंदी विहित कार्य स्थल पर नहीं पाया जाता है तो संबंधित पदाधिकारी उस बंदी के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई कर सकता है तथा उसकी खुला जेल-सह-पुनर्वास कैम्प से वापसी एवं पूर्व संबंधित अथवा अन्य कारा में स्थानान्तरण की अनुशंसा कर सकता है। ऐसे बंदी के विरुद्ध कारा अपराध करने के लिए कार्रवाई भी की जाएगी ।

7 मजदूरी:-

- (1) बंदियों द्वारा उपार्जित मजदूरी या कमाई का उपयोग उनके द्वारा स्वयं के लिये या उनके परिवार के लिए किया जायेगा ।
- (2) बंदियों को नजदीकी बैंक अथवा डाकघर में एक बचत बैंक खाता रखने की अनुमति होगी। इस निमित्त कारा प्रशासन द्वारा बैंक अथवा डाकघर में खाता खोलने के लिए समुचित कार्रवाई सुनिश्चित की जायेगी ।

8 आवासन एवं खानपान:-

- (1) बंदियों / बंदियों के समूह/परिवार सहित बंदीगणों को टेन्ट/घर/पूर्व निर्मित वासस्थान, जैसी स्थिति हो, जो वे खुला जेल सह पुनर्वास कैम्प में व्यतीत होने वाले समय के लिए करेंगे, सरकारी खर्च पर उपलब्ध कराया जायेगा। कारा महानिरीक्षक घरों के निर्माण उनके उपयोग एवं आबंटन को विनियमित करने के लिए अनुदेश जारी करेंगे ।
- (2) बंदी डायट स्केल (आहार तालिका) के आधार पर भोजन राशन या उसके समतुल्य नकद राशि कारा महानिरीक्षक द्वारा यथा विहित केवल स्वयं के लिए पाने के हकदार होंगे। उनके परिवार के सदस्य/परिचर भोजन राशन/नकद राशि पाने के हकदार नहीं होंगे ।

9 बंदियों के परिवार:-

कारा महानिरीक्षक की अनुज्ञा से बंदी खुला जेल सह पुनर्वास कैम्प में अपने परिवार को रख सकते हैं। बंदी के साथ रहने वाले परिवार के सदस्यों की अधिकतम संख्या-04 (चार) होगी।

10. खुला जेल सह पुनर्वास कैम्प की आंतरिक व्यवस्था:-

1. खुला जेल सह पुनर्वास कैम्प की आंतरिक व्यवस्था के लिये (उसकी अवस्थिति, कार्य, दैनिक औसत जनसंख्या, सुरक्षा आदि के संदर्भ में) कारा महानिरीक्षक द्वारा समय-समय पर सामान्य अनुदेश जारी किये जायेंगे। वह निम्नलिखित के गठन और कार्य के संबंध में अनुदेश दे सकेगा ।:-

- I. बंदी पंचायत ।
 - II. कार्य एवं अनुशासन समिति एवं
 - III. खुला जेल सह पुनर्वास कैम्प में बंदी सहयोग समिति ।
2. बंदी पंचायत के सात सदस्य होंगे। सदस्य पंच कहे जायेंगे। पंच बंदियों के द्वारा बंदियों के बीच से मतदान प्रक्रिया द्वारा निर्वाचित होंगे। पंचायत की अवधि पंचायत गठन की तिथि से एक वर्ष की होगी ।
 3. बंदी पंचायत बंदियों के कार्यकलाप एवं प्रतिकूल आचरण से निपटने हेतु सशक्त होगी। वह व्यतिक्रमी बंदी को काराधीक्षक के अनुमोदन के अध्यक्षीन लघु शास्ति अधिरोपित कर सकेगी यथा 200/-रूपये का जुर्माना या सामान्य उपयोगिता के कार्यों में अतिरिक्त कठिन श्रम कराना या एक महीने का सामाजिक बहिष्कार या बंदियों के देय सुविधाओं में कटौती।
 4. बंदियों को प्रत्येक प्रातः कालीन एवं सायंकालीन हाजिरी में कारा महानिरीक्षक द्वारा नियत समय पर उपस्थित रहना होगा। रात्री आठ बजे उनकी उपस्थिति दर्ज की जायेगी। रात्री में वे परिसर से बाहर नहीं रह सकेंगे ।
 5. कारा प्राधिकारी (अधीक्षक या कारापाल) जिसके क्षेत्राधिकार में खुला जेल सह पुनर्वास कैम्प अवस्थित हो खुला जेल सह पुनर्वास कैम्प का सप्ताह में कम से कम एक दिन अवश्य निरीक्षण करेंगे एवं बंदियों का साक्षात्कार लेंगे ।

11. खुला जेल सह पुनर्वास कैम्प से बंदियों का पुनर्स्थानान्तरण:-

ऐसे बंदी जो अवचार करते हो या जो बंदी पंचायत द्वारा लगाये गये शास्ति को नहीं दे पाते हो या जो अपने अनुसूचित कार्यों को पूरा नहीं करते हो और जो अन्य कारणों से मुक्त कारागार में रहने के योग्य नहीं पाये जाते हो, कारा महानिरीक्षक की अनुमति से खुला जेल सह पुनर्वास कैम्प से काराधीक्षक द्वारा वापस संबंधित या अन्य कारा में भेज दिया जायेगा ।

12. सुरक्षा एवं निगरानी:-

खुला जेल-सह-पुनर्वास कैम्प में बंदियों की सुरक्षा एवं निगरानी के प्रयोजनार्थ आवश्यकतानुसार कर्मी प्रतिनियुक्त किये जायेंगे जो समुचित अनुशासन, नियमित उपस्थिति एवं सेवासियों तथा उनके परिवार के सदस्यों की गतिविधियों की निगरानी सुनिश्चित करेंगे। वे मुलाकातियों के ऊपर भी निगरानी रखेंगे, जो बाहर से खुला जेल-सह-पुनर्वास कैम्प में बंदियों से मिलने आते हैं। खुला जेल-सह-पुनर्वास कैम्प में मुलाकातियों का प्रवेश नियंत्रित होगा तथा कारागार कर्मी सुरक्षा कारणों या अनुशासन बहाल करने के कारण से मुलाकातियों के प्रवेश पर रोक लगा सकते हैं। बंदियों से मिलने आने वाले बाहरी व्यक्ति की तलाशी ली जा सकती है। खुला जेल-सह-पुनर्वास कैम्प में रहने वाले सभी बंदियों की सूची नजदीकी पुलिस थाने में भेजी जायेगी ।

13. चिकित्सा सुविधाएँ:-

(क) केन्द्रीय कारा में पदस्थापित चिकित्सा पदाधिकारियों, जिसके क्षेत्राधिकार में खुला जेल-सह-पुनर्वास कैम्प अवस्थित हो, सप्ताह में दो दिन अवश्य खुला जेल-सह-पुनर्वास कैम्प में जायेंगे तथा बंदियों को चिकित्सा सुविधा मुहैया करायेंगे। वह बीमार बंदियों

या उसके परिवार के सदस्यों की आपातकाल में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करेंगे। यदि किसी बीमार बंदी को उच्चतर चिकित्सा की आवश्यकता हो तो उसे नजदीकी सरकारी अस्पताल में/जेल अस्पताल में कारा चिकित्सा की अनुशंसा पर स्थानान्तरित कर दिया जायेगा। जिला पदाधिकारी की अनुज्ञा से सिविल सर्जन द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड की अनुशंसा पर बंदी को जिले के बाहर, किन्तु राज्य के भीतर स्थानान्तरित किया जा सकेगा। राज्य के बाहर के अस्पताल में बंदी को स्थानान्तरित करने के लिए कारा महानिरीक्षक की अनुमति अपेक्षित होगी।

(ख) खुले जेल में संसीमित बंदियों के लिए समय-समय पर (तीन माह में एक बार) मनोचिकित्सक की सेवा उपलब्ध करायी जाएगी। कारा अधीक्षक, असैनिक शल्य चिकित्सक के माध्यम से मनोचिकित्सक की सेवा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

14. निरीक्षण:-

(क) सहायक कारा महानिरीक्षक प्रत्येक तीन माह में एक बार कारागार का निरीक्षण करेंगे एवं कारा महानिरीक्षक को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे। कारा महानिरीक्षक वर्ष में एक बार मुक्त कारागार का निरीक्षण करेंगे एवं जाँच प्रतिवेदन सरकार को देंगे। निरीक्षण प्रतिवेदन समर्पित नहीं करने की स्थिति में राज्य सरकार द्वारा संबंधी पदाधिकारियों पर नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी।

(ख) कारा महानिरीक्षक द्वारा खुले जेल के अनुश्रवण के निमित्त एक समिति गठित की जायेगी, जो प्रत्येक तीन माह पर बैठक आयोजित कर समुचित कार्रवाई करते हुए सरकार को प्रतिवेदन समर्पित करेगी।

15. आत्मसमर्पित नक्सली बंदी की केस हिस्ट्री:-

1. बंदी का नाम:-
2. बंदी की संख्या:-
3. उम्र:-
4. संभावित सजा:-
5. धारा:-
6. आदती या दुर्घटनावश/आकस्मिक:-
7. बंदी के वर्तमान एवं आरंभिक अपराध के बारे में कोई अपराधिक इतिहास और बंदी का ब्यान:-
8. सामाजिक इतिहास:-

(क) बचपन	(ख) पड़ोस
(ग) शैक्षणिक पृष्ठभूमि	(घ) किशोरावस्था
(ड.) आर्थिक स्थिति	(च) रोजगार की स्थिति
(छ) दोस्त, संगठन आदि	(ज) आदत, प्रवृत्ति, रुचि
9. शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य:-
10. व्यक्तित्व प्रभाव:-
11. अपराधिक प्रवृत्ति का कारण:-

12. जेल में रहने के दौरान कैदियों को व्यवहार और दायित्व की समझ:-
13. व्यवसायिक एवं शैक्षणिक प्रशिक्षण (यदि कोई हो तो) :-
14. समूह में रहने की प्रवृत्ति:-
15. चरित्र एवं आत्मानुशासन:-
16. खुला जेल-सह-पुनर्वास कैम्प में रहने के प्रति उसका विश्वास:-
17. क्या बंदी सामाजिक या वैयक्तिक अपराधी है? क्या वह सामान्य अपराधी है या पेशेवर या संगठित अपराधी है ? क्या वह भड़ास निकालने के लिए अपराधी बना है घ्
18. क्या वह सतही तौर या भावनात्मक स्तर पर किसी से मेल बिठाने में अक्षम है ?
19. बंदी की कमजोरी या दोष:-
20. बंदी के पुनर्वास के पक्ष या विपक्ष के बिन्दु:-
21. विशेषज्ञों के सुझाव जैसे मनोवैज्ञानिक या अन्य:-
22. बंदी के बारे में अन्य जानकारी, कोई स्त्रोत सामाजिक पृष्ठभूमि आदि:-
जेल में रहते हुए बंदी के सामाजिक व्यवहार व कार्यों को ध्यान में रखा जाएगा ।
16. **सरकार की शक्ति:-** इस नियमावली में अंतर्विष्ट किसी बात के होने पर भी सरकार को खुला जेल-सह-पुनर्वास कैम्प को बंद करने या किसी बंदी को खुला जेल-सह-पुनर्वास कैम्प से वापस करने हेतु आदेश पारित करने की पूरी शक्ति होगी, तथा ऐसा आदेश अंतिम होगा ।
17. राज्य सरकार खुला जेल-सह-पुनर्वास कैम्प, हजारीबाग के समान अन्य खुला जेल भी स्थापित कर सकेगी। जिसके लिए नये भवन निर्माण/वर्तमान उपलब्ध भवन को घोषित करना/वर्तमान किसी चिन्हित कारा को परिवर्तित करना शामिल होगा। इसके निमित्त वर्तमान कारा परिसर का नामाकरण घोषणा के पश्चात् "आत्मसमर्पित नक्सली बंदी कारा" होगा ।
18. राज्य सरकार उपर्युक्त नियमों में आवश्यकतानुसार संशोधन कर सकती है ।
19. गृह विभाग, झारखण्ड, राँची की अधिसूचना संख्या-6579 दिनांक-16.11.2013 द्वारा खुला जेल के लिए अधिसूचित नियमावली को इस अधिसूचना के निर्गत की तिथि से विलोपित किया जाता है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अविनाश कुमार,
सरकार के अपर मुख्य सचिव ।
